न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः सीता शर्मा आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 **दायर दिनांकः–**

जगसीरसिंह पुत्र श्री इकबालसिंह जाति जटसिख निवासी लालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

——प्रार्थी

बनाम

1–हमीरसिंह पुत्र श्री गुरनामसिंह जाति जटसिख साकिन लालपुरा तहसील सूरतग्ढ जिला श्री गंगानगर राज0

2–राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी ए

उपस्थित :–

1– श्री प्रमेन्द्रसिंह भाटी अभिभाषक प्रार्थी

2– श्री संदीप बाजिया अभिभाषक अप्रार्थी न0 1

3– पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ अप्रार्थी न0 3

–:– निर्णय –:–

दिनांकः– 22.5.24

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी , अप्रार्थी नं0 1 एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से भूमि वाके चक 2 के एस आर के खाता सं0 23/24 के प0न0 46/333 मु0न0 4 के किला न0 1–5–6–10–11–15– 16, 20–21–25 में 2.530 है0, प0न0 46/334 मु0न0 5 के किला नं0 3–5–6–8–13–15–18–23–25/2.530 है0 कुल 5.060 है0 अ0क0बा0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । अप्रार्थी न0 1 के नाम से भूमि वाके चक 2 के एस आर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 139/15 के प0न0 46/332 मु0न0 3 के किला न0 1/1 में 0.025 है0, 10/2 में 0.025 है0, 11/1 में 0.025 है0, 20/2 में 0.025 है0, 21/1 में 0.025 है0 कुल 0.125 है0 अ0क0बा0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। प्रार्थी अपनी भूमि वाके चक 2 के एस आर में 5.060 है0 अ0क0बा0 खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए अप्रार्थी न0 1 की भूमि वाके चक 2 के एस आर के प0न0 46/332 मु0न0 3 के किला न0 1/1 में 0.025 है0 , 10/2 में 0.025 है0, 11/1 में 0.025 है0 , 20/2 में 0.025 है0, 21/1 में 0.025 है0 कुल 0.125 है0 अ0क0बा0 खातेदारी भूमि से होकर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन लगभग 20–22 वर्षो से किया जा रहा है। लेकिन अप्रार्थी न0 1 की भूमि वाके चक 2 के एस आर के प0न0 46/332 मु0न0 3 के किला न0 1/1 में 0.025 है0, 10/2 में 0.025 है0, 11/1 में 0.025 है0 , 20/2 में 0.025 है0, 21/1 में 0.025 है0 में वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत नही है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतू चक 2 के एस आर के प0न0 46/332 मु0न0 3 के किला न0 1/1 में 0.025 है0 , 10/2 में 0.025 है0, 11/1 में 0.025 है0 , 20/2 में 0.025 है0 , 21/1 में 0.025 है0 में वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा में आने जाने बाधा है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी न0 1 की भूमि वाके चक 2 के एस आर के प0न0 46/332 मु0न0 3 के किला न0 1/1 में 0.025 है0, 10/2 में 0.025 है0, 11/1 में 0.025 है0, 20/2 में 0.025 है0, 21/1 में 0.025 है0 में वर्तमान में चल रहा रास्ता एवं प्रार्थी अपनी भूमि के प0न0 46/333 मु0न0 4 के किला न0 1 के उतरी–पश्चिमी कोना में (16.5फुट गुणा 25 फुट) रास्ता स्वीकृत करवाना करने का निवेदन किया ।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 251 (क) एवं राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 68–70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में उक्त वाद में अंकित तथ्यों की चाही गई रिपोर्ट भू–अभिलेख निरिक्षक एव पटवारी हल्का द्वारा बिन्दुवार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा तैयार कर भिजवाई गई।

रिपोर्ट के पश्चात प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी न0 1 जरिये अभिभाषक संदीप बाजिया उपस्थित।

अप्रार्थी सं0 1 के अभिभाषक के द्वारा सहमति–पत्र प्रस्तुत कर रास्ता स्वीकृत करने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही गई ।

इसके पश्चात प्रार्थी एवं अप्रार्थी न0 1 एवं पैरोकार की बहस सुनी गई । विद्वान प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से भूमि वाके चक 2 के एस आर के खाता सं0 23/24 में कुल 5.060 है0 अ0क0बा0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। अप्रार्थी न0 1 के नाम से भूमि वाके चक 2 के एस आर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 139/15 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.22 17:30:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प0न0 46/332 मु0न0 3 के किला न0 1/1 में 0.025 है0 , 10/2 में 0.025 है0, 11/1 में 0.025 है0 , 20/2 में 0.025 है0 , 21/1 में 0.025 है0 कुल 0.125 है0 अ0क0बा0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। प्रार्थी को अपने रकबा में आवागमन के लिए अप्रार्थी न0 1 के नाम से भूमि वाके चक 2 के एस आर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 139/15 के प0न0 46/332 मु0न0 3 के किला न0 1/1 में 0.025 है0 , 10/2 में 0.025 है0, 11/1 में 0.025 है0, 20/2 में 0.025 है0, 21/1 में 0.025 है0 कुल 0.125 है0 अ0क0बा0 खातेदारी भूमि में चालू रास्ता से आवागमन लगभग 20–22 वर्षो से किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में चालू रास्ता स्वीकृत शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि में आने जाने बाधा है । इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी न0 1 की भूमि वाके चक 2 के एस आर के खाता सं0 139/15 के प0न0 46/332 मु0न0 3 के किला नं0 1/1 में 0.025 है0 , 10/2 में 0.025 है0, 11/1 में 0.025 है0 , 20/2 में 0.025 है0 , 21/1 में 0.025 है0 कुल 0.125 है0 अ0क0बा0 खातेदारी भूमि एवं प्रार्थी अपनी भूमि के प0न0 46/333 मु0न0 4 के किला न0 1 के उतरी–पश्चिमी कोना में (16.5फुट गुणा 25 फुट) में चालू रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। इसके अलावा प्रार्थी को अपने रकबा में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है । इसलिए प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। इसके साथ साथ तहसीलदार राजस्व सूरतगढ एवं भूअभिनिरीक्षण की रिपोर्ट भी पत्रावली में सम्मलित है जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि प्रार्थी को वैक्लपिक रास्ते का अभाव है। तथा रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी के रकबा में जाने के लिए उक्त जैरवाद वाद रकबा में चल रहा रास्ता ही आवागमन का माध्यम है। इसके अलावा प्रार्थी को अपनें रकबा में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। जिसे स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

अप्रार्थी सं0 1 के अभिभाषक के द्वारा सहमति–पत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि चक 2 के एस आर के खाता सं0 139/15 के प0न0 46/332 मु0न0 3 के किला न0 1/1 में 0.025 है0 , 10/2 में 0.025 है0, 11/1 में 0.025 है0, 20/2 में 0.025 है0, 21/1 में 0.025 है0 कुल 0.125 है0 अ0क0बा0 खातेदारी भूमि में रास्ता स्वीकृत करने की सहमति प्रस्तुत की गई।

उभय पक्षो की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावेजो तथा तहसीलदार राजस्व सूरतगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के नाम से खातेदारी भूमि वाके चक 2 के एस आर के खाता सं0 23/24 में कुल 5.060 है0 अ0क0बा0 खातेदारी भूमि को किसी भी प्रकार का कोई भी वैक्लपिक रास्ता नही है । प्रार्थी अप्रार्थी न0 1 की भूमि चक 2 के एस आर के खाता सं0 139/15 के प0न0 46/332 मु0न0 3 के किला न0 1/1 में 0.025 है0, 10/2 में 0.025 है0, 11/1 में 0.025 है0, 20/2 में 0.025 है0, 21/1 में 0.025 है0 कुल 0.125 है0 अ0क0बा0 खातेदारी भूमि एवं प्रार्थी की भूमि के प0न0 46/333 मु0न0 4 के किला न0 1 के उतरी – पश्चिमी कोना में (16.5फुट गुणा 25 फुट) से आवागमन का एक मात्र माध्यम है । पत्रावली में प्रस्तुत भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा बिन्दूबार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा के अवलोकन से ही पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा वैक्लपिक रास्ता का अभाव है । प्रार्थी के रकबा को किसी प्रकार का कोई भी अन्य कोई रास्ता नही लगता है। चक 2 के एस आर के खाता सं0 139/15 के प0न0 46/332 मु0न0 3 के किला न0 1/1 में 0.025 है0 , 10/2 में 0.025 है0, 11/1 में 0.025 है0, 20/2 में 0.025 है0, 21/1 में 0.025 है0 कुल 0.125 है0 अ0क0बा0 खातेदारी भूमि एवं प्रार्थी अपनी भूमि के प0न0 46/333 मु0न0 4 के किला न0 1 के उतरी – पश्चिमी कोना में (16.5फुट गुणा 25 फुट) में चालू रास्ता स्वीकृत किया जाना सही है। इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी न0 1 के नाम खातेदार भूमि चक 2 के एस आर के खाता सं0 139/15 के प0न0 46/332 मु0न0 3 के किला नं0 1/1 में 0.025 है0 , 10/2 में 0.025 है0, 11/1 में 0.025 है0 , 20/2 में 0.025 है0 , 21/1 में 0.025 है0 कुल 0.125 है0 अ0क0बा0 खातेदारी भूमि अप्रार्थी नं0 1 के नाम से एवं प्रार्थी के नाम खातेदारी भूमि के चक 2 के एस आर के प0न0 46/333 मु0न0 4 के किला न0 1 के उतरी – पश्चिमी कोना (16.5फुट गुणा 25 फुट) प्रार्थी के नाम से कलमजन कर गै0मु0 रास्ता के नाम अंकन करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.22 17:30:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 22.5.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)